

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

**न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**मुकाम **चित्तौड़गढ़****मुकेश**

बनाम

**सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा**किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)**

नं०

032सन् **2022**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.06.2022	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो बाद जांच पेश हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी मुकेश पिता बंशीलाल धाकड निवासी मु०पो० सरसी तहसील निम्बाहेडा ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन के साथ में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ किसी भी प्रकार से कोई अनुलग्नक संलग्न नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र की प्रति एवं अन्य दस्तावेज के अभाव में ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर खारीज की जाती है, एवं अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करावे। अहकाम की प्रतिलिपि संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।</p> <p style="text-align: center;">-SD- (अरविन्द कुमार पोसवाल) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.) 10.06.2022</p>	